



भारत सरकार/Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs (Preventive)

110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong - 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-2222597/2225325/2229005. फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007. ई-मेल E-mail: cusshg@gmail.com

(हिंदी अनुवाद)

जन सूचना संख्या. 05/2017

दिनांक शिलांग 30 नवम्बर, 2017

विषय: प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) के बहार नमूनों के जांच के सम्बन्ध में प्रेषण ।

दिनांक 16.11.2017 के परिपत्र संख्या 43/2017 - सीमा शुल्क पर सभी का ध्यान प्रयोगशाला के बहार नमूनों के जांच के सम्बन्ध में आकर्षित किया जाता है ।

2. सीबीईसी ने यह देखा कि राजस्व प्रयोगशाला में कुछ वस्तुओं के जांच सुविधा न होने के कारण सीमा शुल्क फील्ड फार्मेशन एवं राजस्व लेबोरेटरी के बीच नमूनों का वस्तुओं के निकासी में विलंब हो जाता है ।
3. तदनुसार, सी आरसीएल, कुछ वस्तुओं की अल्पसूची तैयार की है । जिसका वर्तमान में नमूनों का प्रयोगशाला में जांच की आवश्यकता नहीं होगी तथा वे लेबोरेटरी की पहचान भी की जाये जो कि अन्य मंत्रालय/ विभाग/ संगठन में इन नमूनों कि जांच की जाती है । इन वस्तुओं की सूची और अनुरूप जांच प्रयोगशाला (अनुलग्नक -I) में देखे ।
4. राजस्व प्रयोगशाला को वर्तमान में अपग्रेड किया जा रहा है। तदनुसार, जब तक राजस्व प्रयोगशाला अपग्रेड नहीं हो जाता , व्यापार सरलीकरण के मद्देनजर बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि फील्ड फार्मेशन वस्तुओं का नमूना सीधे कालम 3) इस परिपत्र के (परिशिष्ट -I) में दिए गये प्रयोगशाला कालम 4) या आयुक्तालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेजा जाए नमूनों का प्रयोगशाला में भेजे जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है ।

क) सीमा शुल्क गठन उच्च नमूना की तकनीकी का प्रयोग दिए गये सम्बंधित प्रयोगशाला के तहत करे। सम्बंधित फील्ड फार्मेशन नमूना लेने से पहले सम्बंधित प्रयोगशाला से नमूनों की आवश्यकता की पहचान कर ले।

ख) लाईव माल जिसे बिना जांच रिपोर्ट के हटाया न जा सके, क्योंकि उसका प्रकृति पर गलत प्रभाव पड़ेगा या इसका कोई अन्य कारण हो । इसके नमूनों को जल्द ही सम्बंधित प्रयोगशाला में भेजा जाए। तत्पश्चात, आयात किए गए खाने की वस्तुओं के नमूनों एवं रिपोर्ट की प्राप्ति इस कार्यालय के दिनांक 12-05-2010 के सुविधा संख्या 04/2010, 06.12.2010 के सुविधा संख्या 09/2010, दिनांक 01-02-2011 के जन सूचना संख्या 01/2011 एवं दिनांक 26-04-2013 के सुविधा संख्या 01/2013 यह प्रक्रिया ऐसे ही जारी रहेगी ।


ग) जहाँ प्रयोगशाला तीन दिन से अधिक विलंब करेगी वहाँ सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 49 के तहत आयात किये गए वस्तुओं को भंडारगृह में रखा जाएगा ।

घ ) नमूनों का शुल्क यदि हो निर्यातकर्ता या आयातकर्ता से ली जाएगी ।

५. यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त प्रक्रिया के वे मामले जिनमें नमूना सरकार के संस्था सहभागी द्वारा स्वयं किया जाए, वह मानी होगा ।
६. टेक्सटाइल के नमूनों की जाँच डीजीएफटी के दिनांक की अधिसूचना सं 19/2015 - 2020 के तहत जांच एजेंसी के नमूनों का विवरण देगा ।
७. पौधों के आयात एवं पौधों से सम्बंधित तथा पशुधन, पौध संगरोध एवं पशु संगरोध प्राधिकार द्वारा निर्धारित नमूनोंद्वारा की जाएगी ।
८. नमूनों की जांच की प्रक्रिया सीमाशुल्क नियमावली में उपलब्ध है ।
९. यदि कोई असुविधा होती है, इस कार्यालय को सूचित करे ।

संलग्न- अनुलग्नक -1

(प्राधिकार- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग(सीबीइसी) के परिपत्र संख्या-43/2017-सीमा शुल्क एफसं.401/243/2016-सीमा III दिनांक 16.11.2017 को देखे।)

  
(बंदना देवरी)  
आयुक्त


C.No. VIII (29)01105/TECH/FSSA | 2013 | 24146-67(5)  
~~(48)237005/TECH/2016~~

dated

30 NOV 2017

प्रति सूचना हेतु:

1. मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, शिलांग जोन, शिलांग ।
2. आयुक्त, सीजीएसटी आयुक्तालय ,अगरतला, आइजल, दीमापुर,डिब्रूगढ़, गुवाहाटी,शिलांग, ईटानगर,इम्फाल ।
3. उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त सीमा शुल्क प्रभाग अगरतला/ आइजल/धुबरी/दिमापुर/ गुवाहाटी/ इम्फाल/ करीमगंज/ शिलांग से निवेदन किया जाता है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में सभी को सूचित करे एवं निर्धारित दिशानिर्देश को सुनिश्चित करे
4. उप /सहायक आयुक्त, मोरेह एलसीएस, अगरतला एलसीएस एवं आईसीडी अमिनगाँव निर्धारित दिशानिर्देश को सुनिश्चित करे ।
5. अधीक्षक , कंप्यूटर सेल, सीमा शुल्क, शिलांग को इस जन सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ।
6. गार्ड फाइल ।

  
(बंदना देवरी)  
आयुक्त